

RTI REQUEST DETAILS	
<b>Registration No. :</b> PGCIL/R/2017/50174	<b>Date of Receipt :</b> 02/03/2017
<b>Type of Receipt :</b> Online Receipt	<b>Language of Request :</b> English
<b>Name :</b> Gaurav Sharma	<b>Gender :</b> Male
<b>Address :</b> H No 31 Ground Flor , Jail Road Jahangirabad Bhopal MP , Pin:462008	
<b>State :</b> Madhya Pradesh	<b>Country :</b> India
<b>Phone No. :</b> Details not provided	<b>Mobile No. :</b> +91-9301807729
<b>Email :</b> gauravsharma8998@gmail.com	
<b>Status(Rural/Urban) :</b> Urban	<b>Education Status :</b> Above Graduate
<b>Is Requester Below Poverty Line ? :</b> No	<b>Citizenship Status :</b> Indian
<b>Amount Paid :</b> 10 )	<b>Mode of Payment :</b> Payment Gateway
<b>Request Pertains to :</b>	
<b>Information Sought :</b> For 765 KV Transmission line plz go through to the attachment	
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>	

2017/3  
PGCIL/R/2017/50174  
3/3 → receipt  
03/03

- (1)- 765 kv लाइन से builiding, भवन एवं मकान की सुरक्षित दूरी जमीन एवं ऊँचाई से कितनी होनी चाहिए।।
- (2)- भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के राईट ऑफ़ वे (मार्ग का अधिकार) के अंतर्गत टॉवर के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि एवं तार के नीचे आने वाली भूमि (दोनों सिंचित है) हेतु मुआवजे का क्या प्रावधान है एवं सम्बन्धित नियम् विस्तार से स्पष्ट करें।
- (3)- मकान के सामने आँगन एवं दैनिक क्रियाकलाप हेतु छोड़ी गयी खाली जमीन (जबकि दोनों साथ में लगे हुए है) जिस पर भविष्य में कोई निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, परंतु उसके सामने 765 kv लाइन का टॉवर खड़ा होने से वह भूमि टॉवर के danger zone में आ रही है। जिससे भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित भूमि की छति पूर्ति हेतु मुआवजे का क्या प्रावधान है, यह किस दर पे दिया जाता है। इसका नियम एवं प्रावधान विस्तार से बताया जाए।